भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3496

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

रुग्ण औद्योगिक इकाई

3496. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेलंगाना में, विशेषकर आदिलाबाद और नालगोंडा जिलों में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इन उद्योगों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से बनाई गई योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित और व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार ने तेलंगाना के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर अपर्याप्त सहायता के प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) क्या तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए कोई विशेष पैकेज विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): उद्योग राज्य का विषय है। राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में स्थित रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए कदम उठाती हैं तथा अपने पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय करती हैं।

हालांकि, भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ करने, उन्हें सहायता और वित्त प्रदान करने, पुनरुद्धार तथा पुनर्निर्मित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जो निम्नानुसार हैं:

- प्रारंभिक चरण में एमएसएमई खातों के दबाव को दूर करने और उनके पुनरुद्धार को सुविधाजनक बनाने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी 29 मई, 2015 की राजपत्रित अधिसूचना के जरिए 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्जीवन और पुनर्वास के लिए ढांचा' (एमएसएमई के लिए एफआरआर) को अधिसूचित किया है। राजपत्रित अधिसूचना के अनुक्रम में, आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/338 एफआईडीडी.एमएसएमई एंड एनएफएस.बी.सी.सं. 21/06.02.31/2015-16 दिनांक 17.03.2016 के जरिए निर्देश जारी किए।
- एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। यह स्कीम 31.03.2023 तक प्रचालनरत थी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम संबंधी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दिनांक 23.01.2023 की जांच रिपोर्ट के

अनुसार, लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खातों को, जिनमें से लगभग 98.3 प्रतिशत खाते सूक्ष्म और लघु उद्यम श्रेणी के थे, जिनको गैर-निष्पादक परिसम्पत्ति (एनपीए) की श्रेणी में जाने से बचाया गया।

- एमएसएमई मंत्रालय की सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत, सदस्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा एमएसई को दिए गए ऋण के लिए उन्हें बंधकमुक्त अथवा तृतीय पक्ष की गारंटी के बिना गारंटी प्रदान की जाती है। जैसा कि केंद्रीय बजट 2022-23 और 2023-24 में घोषणा की गई थी, एमएसई के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास के कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपए डाले गए थे ताकि कम लागत पर 2.00 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया जा सके।
- दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में शामिल करना।
- एमएसएमई के दर्जे में बढ़ोतरी होने पर 3 वर्ष के लिए गैर-कर लाभों का विस्तार।
- 200 करोड़ रुपए तक की अधिप्राप्ति के लिए वैश्विक निविदा जारी न करना।
- एमएसएमई की सहायता हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्मों और अन्य अभिनव तरीकों से एमएसएमई को ऋण तक अधिक पहुंच प्रदान करने के लिए, व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) नामक इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म विभिन्न फाइनेंसर्स के जरिए एमएसएमई को व्यापार प्राप्तियों की छूट में सहायता प्रदान करता है। उनके व्यापार प्राप्तियों को कार्यशील पूंजी में बदलने हेतु, भारत सरकार ने दिनांक 07.11.2024 की अधिसूचना के जरिए टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म में शामिल होने की अनिवार्यता के लिए खरीदारों के अधिकतम कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया है। इस संबंध में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दिनांक 07.11.2024 को अधिसूचना संख्या का.आ. 4845 (अ) जारी की गई है।

इसके अलावा, तेलंगाना राज्य सरकार के प्राप्त जानकारी के अनुसार, तेलंगाना सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- तेलंगाना इंडस्ट्रियल हेल्थ क्लिनिक लिमिटेड (टीआईएचसीएल) द्वारा आदिलाबाद में 13 एमएसएमई इकाइयों और नालगोंडा में 25 एमएसएमई इकाइयों का पुनरुद्धार किया गया है। आदिलाबाद में 01 मेगा इकाई- मैसर्स सिरपुर पेपर मिल्स और नालगोंडा में एक बड़ी इकाई- मैसर्स कुमार्स मेटालर्जिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी पुनरुद्धार किया गया है।
- एमएसएमई के पुनरुद्धार के लिए आदिलाबाद में अब तक 26 लाख और नालगोंडा में 47.95 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

तेलंगाना सरकार की शा.आ. एमएस सं. 18 दिनांक 21.03.2018 के अनुसार, आदिलाबाद में मैसर्स सिरपुर पेपर मिल्स की इकाई को निम्नलिखित प्रोत्साहन/रियायत स्वीकृत की गई है:-

1. 10 वर्ष के लिए सकल एसजीएसटी की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति
2. स्टांप शुल्क की 100 प्रतिशत छूट
3. निवेश के 20 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी जो 50 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है

4. रियायत पर 10 वर्ष के लिए डीबार्क्ड यूका
5. एससीसीएल द्वारा सुरक्षित कोयला
6. 10 वर्ष के लिए 1000/- रुपए की छूट के साथ कोयले की आपूर्ति
7. 5 वर्ष के लिए 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता
8. 10 वर्ष के लिए बिजली के शुल्क में छूट
9. 3 वर्ष के लिए 3 रुपए प्रति इकाई की दर से विद्युत लागत की प्रतिपूर्ति
10. बाजार दर पर कॉपीयर/मैपलिथो की आपूर्ति में प्राथमिकता

- तेलंगाना सरकार ने एमएसएमई को वित्तीय सहायता सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए नई एमएसएमई नीति शुरू की है।

*****